(111)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 37/2022
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/60

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री गिरिश कुमार नट पिता श्री खेमचंद नट, निवासी गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा At also – श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री खेमचंद आराजी खसना नं. 162, गांव बेडाउ, गांगड तलाई, शेरगढ़ रोड, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्री खेमचंद पिता श्री गोपीचंद निवासी–40, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री खेमचंद निवासी–40, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (सहऋणी/बंधक कर्ता)
4. श्री अरविन्द कुमार पिता श्री खेमचंद निवासी–40, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (सहऋणी)
5. करपु पिता श्री नाथु निवासी–58, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 21–09–2022

ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1–श्री गिरिश कुमार नट पिता श्री खेमचंद नट, निवासी गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा At also – श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री खेमचंद आराजी खसना नं. 162, गांव बेडाउ, गांगड तलाई, शेरगढ़ रोड, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:24 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

(ऋणी/बंधक कर्ता) 2– श्री खेमचंद पिता श्री गोपीचंद निवासी–40, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (सहऋणी) 3– श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री खेमचंद निवासी–40, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (सहऋणी/बंधक कर्ता) 4– श्री अरविन्द कुमार पिता श्री खेमचंद निवासी–40, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा (सहऋणी) को दिनांक **06–01–2017** को **6,50,000 (छः लाख पचास हजार रुपया)** ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 12–10–2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 02–04–2021 को कुल बकाया राशि 644509 रू. (छः लाख चवालिस हजार पॉच सौ नौ रूपया)** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया व **अप्रार्थी सं. 5 करपु पिता श्री नाथु निवासी–58, गांव बेडाउ, शेरगढ़, तहसील बागीदौरा, बांसवाडा** उक्त ऋण के गारन्टर है। अचल सम्पत्ति **श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री खेमचंद के नाम आराजी नंबर 162, गॉव बेडाउ, गांगड तलाई– शेरगढ रोड तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा मे स्थित आवासीय प्लॉट जिसका कुल माप 2660 वर्गफीट** है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में इन्द्रा की कृषि भूमि, पश्चिम में गांगडतलाई–शेरगढ रोड, उत्तर में मुकेश पिता गोपीचंद का प्लॉट एवं दक्षिण में उर्मिला पत्नि नटवरलाल का प्लॉट** स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) व ... 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख ... अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:24 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

धिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में (113)
संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **23–04–2021** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **08.01.2017** को **रु. 6,50,000** रुपया ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 04–08–2022 को जारी किया। अप्रार्थीगणो के नोटिस दिनांक 01–09–2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री मनीष त्रिवेदी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 5 की ओर से श्री मनिष त्रिवेदी अधिवक्ता ने मेमो ऑफ एप्पीयरेंस प्रस्तुत कर आगामी पेशी पर अभिभाषक पत्र एवं अप्रार्थीगणो की ओर से जवाब प्रस्तुत करने निवेदन किया। दिनांक 21.09.2022 को अप्रार्थीगण स्वयं/ अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थी सं. 2 तथा उनके अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण सं. 1, 3, 4, 5 को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 5 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्राथी सं. 2 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नही किया एवं अप्रार्थीगण सं 1 से 5 स्वयं/ उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं 2 का जवाब बंद किया जाता है एवं समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 21–09–2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:24 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with Oken Scanner

तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21–09–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner